राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2019 अपील

1. श्रवण सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत निवासी झालरा हाल निवासी म.नं. 8 सिंचाई विभाग, गायत्री आश्रम के सामने, तहसील एवं जिला भीलवाडा

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र लाल सिंह राजपूत निवासी – झालरा तहसील आसीन्द
2. भंवर कंवर पुत्री लाल सिंह पत्नी विजय सिंह राजपूत निवासी – खामल तहसील जाडन जिला पाली
3. पवन कंवर पुत्री लाल सिंह पत्नी निर्भय सिंह राजपूत निवासी – सूरसिंह जी का गुढ़ा तहसील राणावास जिला पाली
4. रणजीत सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी – झालरा तहसील आसीन्द
5. शैल कंवर पुत्री भंवर सिंह पत्नी ज्वाला सिंह राजपूत निवासी – भटेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. विनोद कंवर पुत्री शोभाग सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी – बिनावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
7. हंसा कंवर पुत्री शोभाग सिंह पत्नी लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी– सिंदला तहसील जेतारण जिला पाली
8. जितेन्द्र सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत निवासी– म.न. 8 सिंचाई विभाग, गायत्री आश्रम के सामने, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
9. रतन कंवर पत्नी शोभाग सिंह राजपूत म.न. 8 सिंचाई विभाग, गायत्री आश्रम के सामने, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 100 दिनांक 28/12/2001 तहसीलदार, आसीन्द
अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –

1. श्री दूधाराम कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मनोहर बुनकर अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 09 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.10.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 28.12.2001 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 09 की पैतृक कृषि आराजियात ग्राम झालरा पटवार हल्का रूघनाथपुरा तहसील आसीन्द मे स्थित है, खाता

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तरणकरण संख्या 100 में अपीलार्थी का नाम श्रवण सिंह के बजाय तेज सिंह बोलता नाम से पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में व सजरे मे अंकित कर दिया तथा उसके आधार पर भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार आसीन्द ने विवादित नामान्तरणकरण को स्वीकृत कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने अपास्त होने लायक है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायलाय को अपने स्तर पर वारिसान की जांच व तहकीकात करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी। अपीलार्थी का वास्तविक नाम स्कूल रेकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि सभी सरकारी दस्तावेजों में शुरू से ही श्रवण सिंह पुत्र शोभाग सिंह ही दर्ज है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 100 निर्णय दिनां 28/12/2001 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का नाम तेजसिंह/तेजपाल सिंह के बजाय श्रवण सिंह राजपूत पुत्र शोभाग सिंह के नाम पर खोला जाने का आदेश प्रदान करावें ।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता का देहान्त अपने दादाजी लाल सिंह से पूर्व ही हो गया था। बाद में लाल सिंह व शोभाग सिंह का नामान्तरण एक साथ खोला गया जिसमें अपीलार्थी का नाम श्रवण सिंह के बजाय तेज सिंह परिवार में बोलता नाम से खोल दिया, जिसकी अपीलार्थी को अपनी नादानी में कोई जानकारी नहीं हो सकी जबकि अपीलार्थी का रेकॉर्ड अनुसार शुरू से ही नाम श्रवण सिंह है। सभी दस्तावेज में अपीलार्थी का नाम श्रवण सिंह ही अंकित है। निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 26.12.2001 को निरस्त किया जाकर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अपीलार्थी का नाम तेज सिंह/तेजपाल सिंह के बजाय श्रवण सिंह पिता शोभाग सिंह किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह गया पाया कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 ने अपने जवाब एवं बहस में अपीलार्थी का नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 100 में शुद्विकरण करते हुये तेजसिंह/तेजपाल पुत्र शोभाग सिंह राजपूत नाम के बजाय श्रवण सिंह पुत्र शोभाग सिंह राजपूत करने हेतु इकबालिया स्वीकारोक्ति प्रकट की हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार भी अपीलार्थी का नाम श्रवण सिंह पुत्र शोभाग सिंह अंकितशुदा हैं।

ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा पंचायत समिति आसीन्द के प्रमाण पत्र दिनांक 14.06.2022 अनुसार ग्राम झालरा में निवासरत श्रवण सिंह को ही तेज सिंह के नाम से पुकारा जाता हैं। जिसके पिता का नाम शोभाग सिंह राजपूत हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 28.12.2001 को निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम तेजसिंह/तेजपाल पुत्र शोभाग सिंह राजपूत नाम के बजाय श्रवण सिंह राजपूत पुत्र शोभाग सिंह राजपूत अंकन किया जावे व इसी अनुसार नामान्तरकरण पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)